DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

Bulletin Part-II

(General information relating to legislative and other matters) Friday, 13th February, 2015/24 Magha,1936 (Saka)

No.: 1

ELECTION CERTIFICATE OF MEMBERS

Hon'ble Members are hereby informed that the Sixth Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi has been constituted vide Election Commission of India, Notification No. 308/DL-LA/2015 dated 11th February, 2015.

The members are requested to kindly visit the Assembly Secretariat on any working day between 11.00 A.M. to 05:00 P.M. so that the process for issuing Identity Cards to the Members and release of their Salary & allowances may be initiated.

Members may kindly bring with them the following documents:-

- i) Copy of Certificate of Election issued by the Returning Officer.
- ii) 4 Passport size colour photographs (for issuing Member's identity card and for publishing in the "Who's Who").
- iii) Enclosed forms duly filled which are related to issue of Identity cards and payment of salary and allowances through ECS etc.
- iv) One cancelled cheque of their Saving Bank Account for salary purposes.

L. R. GARG SECRETARY

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2 (विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) शुक्रवार,13 फरवरी, 2015/24 माघ ,1936 (शक)

संख्याः 01

सदस्यों का निर्वाचन प्रमाण-पत्र

माननीय सदस्यों को एतद्धारा सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 308/डीएल-एलए/2015 दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा का गठन हो गया है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि विधान सभा सिचवालय में किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाहन से 5.00 बजे तक पधारने का कष्ट करें ताकि सदस्यों को परिचय पत्र तथा वेतन एवं भत्ते आदि जारी करने का कार्य आरम्भ किया जा सके।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज साथ लायें : -

(i) निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्वाचन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।

(ii) पासपोर्ट साइज के चार रंगीन फोटो (सदस्य का पहचान पत्र बनाने एवं "हू-

इज़-हु" में छापने के प्रयोजन से)।

(iii) विधिवत् रूप से भरे हुए संलग्न प्रपन्न जो कि सदस्यों के परिचय पन्न जारी करने और ईसीएस प्रणाली से वेतन एवं भत्ते जारी करने आदि प्रक्रिया से संबंधित हैं।

(iv) वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने बचत खाते का एक कैंसिल चैक।

एल.आर. गर्ग सचिव